भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1095

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2014/7 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

कंपनी लॉ बोर्ड के पास लंबित मामले

1095. श्री सी. आर. चौधरी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न पणधारियों द्वारा अभी तक पूंजी के अधिमान निर्गम के संबंध में कंपनी लॉ बोर्ड के पास दर्ज लंबित मामलों की कंपनी-वार संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न पणधारियों द्वारा कंपनी लॉ बोर्ड के पास दर्ज याचिकाओं के ब्यौरे और प्रकार का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग) : अधिमान शेयरों को जारी करना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 एवं कंपनी (शेयर, पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के अंतर्गत शासित होते हैं। सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ऐसे मामले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किए जाते हैं। इन प्रावधानों के लिए कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) का अनुमोदन आवश्यक नहीं है और कंपनी विधि बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कंपनी विधि बोर्ड में ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है।

*****